न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 47/2018

जीसीएमएस नम्बर : 2018/00349

प्रार्थी:– **बनाम** **अप्रार्थीगण :–**

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी पुनाडिया तहसील रानी जिला पाली

1. बुद्धसिंह पुत्र फौजुसिंह जाति पुरोहित निवासी पुनाडिया तहसील रानी जिला पाली के वारिसान
   1/1 कमलादेवी पत्नी बुद्धसिंह
   1/2 दिनेशसिंह पुत्र बुद्धसिंह
   1/3 महेन्द्रसिंह पुत्र बुद्धसिंह
   जातिगण राजपुरोहित निवासीगण पुनाडिया तहसील रानी
   1/4 प्रेम पुत्री बुद्धसिंह पत्नी ओमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी धुन्धियाडी तहसील खीवसर जिला नागौर
   1/5 कौशल्या पुत्री बुद्धसिंह पत्नी राजूसिंह जाति राजपुरोहित निवासी एन–7 अमरबाग आशियाना, कुडी भगतासनी जोधपुर राज.
2. ग्राम पंचायत ईटन्दरा चारणान पंचायत समिति रानी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/5 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 11.7.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत ईटन्दरा चारणान द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 बुद्धसिंह पुत्र फौजूसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 11755 दिनांक 24.11.1975 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 को अनुसूचित जाति व जन जाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषक की आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय आवंटन के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। आवंटन की शर्त संख्या 8 में स्पष्ट अंकन है कि यदि आवंटन के 2 वर्ष के अन्दर इस भूमि पर मकान या

अति. जिला कलेक्टर, पाली

झोपडा इत्यादि बनाना अनविार्य होगा अन्यथा भुखण्ड वापस लेने का अधिकार आवंटन अधिकारी को होगा जबकि अप्रार्थी का आज दिन तक जैर भूखण्ड पर कोई कब्जा नहीं है। साथ ही जैर निगरानी पट्टे पर उप सरपंच के हस्ताक्षर है सरपंच के नहीं। अप्रार्थी संख्या 1 बिजलीघर में सरकारी कर्मचारी था और इसके स्वंय का गांव में निजी मकान भी है साथ ही कृषि भूमि भी बहुत है अर्थात् भूमिहीन व्यक्ति नहीं है, सम्पन्न परिवार है फिर भी ग्राम पंचायत से गलत तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया जो निरस्त योग्य है। जैर भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा होने से ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा निष्पादित किया। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा जारी अन्य पट्टो के पडौस में भी प्रार्थी का नाम अंकित है जिससे जाहिर होता है कि यदि अप्रार्थी संख्या 1 का इस जगह का पट्टा होता तो अन्य पट्टो के पडौस में उनका नाम होता परन्तु ऐसा नहीं है अर्थात् अप्रार्थी संख्या 1 ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये विधि विरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया, जो निरस्त योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/5 ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा प्राप्त करने के पश्चात अप्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड में कच्चा केलूपोश मकान बनाया था बाद में अन्य भूखण्ड खरीद कर उस पर पक्का मकान बना दिया और उसमें रहवास कर दिया। वर्तमान में आज भी अप्रार्थी का ही वास्तविक भौतिक रूप से आधिपत्य है, गेट लगाया हुआ है एवं चारदीवारी की हुई है। जिस समय जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया था उस समय प्रार्थी का जन्म भी नहीं हुआ था, इस कारण प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जब पट्टा जारी किया गया था उस समय उप सरपंच के पास ग्राम पंचायत का प्रभार था इस कारण उप सरपंच के द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। अप्रार्थी तत्समय बिजलीघर में अस्थायी दिहाडी मजदूर के रूप में कार्यरत था साथ ही पूर्णरूपेण भूमिहीन व्यक्ति था इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार अनुसूचित जाति व जन जाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषक की आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय आवंटन के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया, जो विधिनुसार सहीं है। साथ ही इस नियम के तहत किसी भी मिसल की आवश्यकता नहीं होती है केवल आवेदक द्वारा आवेदन करने पर उसकी विधिक जांच कर पट्टा जारी किया जाता है, इसलिये जैर निगरानी को खारिज फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2002(2) DNJ 668, 2002(4) RLW 2284, 1999(3) RLW 1390, 2008(2) DNJ 736 पेश कर जैर निगरानी को खारिज करने निवेदन किया है।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत ईटन्दरा चारणान द्वारा अप्रार्थी बुद्धसिंह पुत्र फौजूसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 11755 दिनांक 24.11.1975 के विरूद्ध पेश की है। ग्राम पंचायत मांडल द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन के तहत वर्ष 1975 में अप्रार्थी बुद्धसिंह के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध सहायक अभियंता (प.व.स.) जोधपुर डिस्काम, रानी के पत्र दिनांक 26.07.2021 के द्वारा प्रार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रेषित सूचना अुनसार अप्रार्थी बुधसिंह पुत्र फौजुसिंह इस विभाग में कार्यरत थे व वर्तमान में सेवानिवृत हो

अति. जिला कलेक्टर पाली

चुके है। जिससे यह सुस्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 राजकीय सेवा में कार्यरत थे, उसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी को अनुसूचित जाति व जनजाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 की जाति भी पुरोहित है, जो अनुसूचित जाति व जनजाति की श्रेणी में नहीं आती है बल्कि सामान्य श्रेणी में आती है, उसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि अप्रार्थी संख्या बुद्धसिंह द्वारा आवासीय भूमि आंवटन हेतु प्रस्तुत आवेदन में व्यवसाय कृषि एवं नौकरी अंकित है तथा वर्तमान उपलब्ध आवासीय सुविधा का विवरण रिक्त छोडा हुआ है। उक्त प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट पर पटवारी अथवा ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नहीं होने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत ने विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो खारिज योग्य है।

साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि तत्समय अप्रार्थी भूमिहीन कृषक था एवं वह निःशुल्क भूखण्ड आवंटन की पात्रता रखता हो अर्थात् ग्राम पंचायत ने बिना कोई विधिवत जांच किये अप्रार्थी संख्या 1 को अनुचित लाभ पहुचाने की नियत से जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया, जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस एवं अपने जवाब में अंकित किया अप्रार्थी बिजलीघर में अस्थायी दिहाडी मजदूर के रूप में कार्यरत था परन्तु सहायक अभियंता (प.व.स.) जोधपुर डिस्काम, रानी के पत्र दिनांक 26.07.2021 के अनुसार अप्रार्थी पूर्व में राजकीय सेवा में कार्यरत थे। जिससे जाहिर है कि अधिवक्ता अप्रार्थीगण अपने कथनो को सिद्ध करने में असफल रहे। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टे को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत ईटन्दरा चारणान द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 बुद्धसिंह पुत्र फौजूसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 11755 दिनांक 24.11.1975 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 11/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली